न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनूं

दावा संख्या–172/2016

उनवान

रमेश चन्द्र बनाम मुस्तकीम वगै0

रमेशचन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 17 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादी

बनाम

1. मुस्तकीम पुत्र मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. जमील पुत्र मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. बिलकिस पुत्री मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. मुमताज पुत्री मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. नूरी पुत्री मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. नुरजहां पुत्री मो. हुसैन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. सलीम पुत्र आमीन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. जायदा स्त्री मुस्तफा जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. आसिफ पुत्र मुस्तफा जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10. रिजवान पुत्र मुस्तफा जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11. बिमला स्त्री दामोदर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 12 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12. सन्तोष स्त्री द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
13. बिमला स्त्री पूर्णमली जाति ब्राहम्ण निवासी सदीनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
14. माया स्त्री राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू।
15. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
16. उप पंजीयक मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री विक्रम सिंह दुलड़ – वादी की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरीया – प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

दिनांक : 24.05.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमीन गत ख.नं. 682 तादादी 2 बीघा 18 विश्वा हाल ख.नं. 1612 रकबा 0.74 हैक्टर सरहद राजस्व कस्बा मण्डावा तहत तहसील झुन्झुनू मे स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पहले तत्कालीन ठिकाना मण्डावा की जमीन थी। तत्कालीन ठिकाना से जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को लगान के बदले काश्त हेतु वादी का पिता सोहन पुत्र जगु जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावा ने प्राप्त कर लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा किया एवं बतौर टीनेन्ट जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को उक्त सोहन ने काश्त किया। सोहन पुत्र जगु का देहान्त हो चुका है। सोहन के दो पुत्र वादी रमेशचन्द्र एवं स्व. दामोदर पैदा हुये तथा तीन पुत्रियां माया, सन्तोष एवं विमला पैदा हुई। सोहनलाल के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र उत्तराधिकार में वादी एवं प्रतिवादी नं. 13 लगायत 15 तथा स्व. दामोदर को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। दामोदर के देहान्त होने के बाद दामोदर का हिस्सा उसकी स्त्री विमला को प्राप्त हुआ। राजस्व कर्मचारियों एव अधिकारियों ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकॉर्ड शुरू से ही गलत बना दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का बाई आपरेशन ऑफ लॉ उक्त जमीन का खातेदार सोहनलाल हुआ। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकॉर्ड सोहनलाल के नाम दर्ज करना चाहिये था। तथा सोहनलाल के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकॉर्ड उसके जायज वारिसान के नाम दर्ज करना चाहिये। ठिकाना मण्डावा की मिसल हकियत सम्वत 1999 एवं पर्चा खतौनी ठिकाना मण्डावा में विवादित जमीन का खातेदार वादी का पिता सोहनलाल है तथा जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में भी जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र की खातदारी वादी सोहनलाल के नाम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बाद में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी कारण के जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र की खातेदारी गलत रूप से मो. हुसेन आमीन, याकुब पुत्रगण समदा जाति कसाई के नाम दर्ज कर दी तथा बाद में गलत रूप से प्रतिवादी नम्बर 11 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 11 के नाम जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का जो राजस्व रिकॉर्ड बना है वह वादी के हकुक के विरुद्ध शुन्य है। सोहनलाल की पुत्रियां प्रतिवादिया नं. 13 से 15 की शादी करीब 40–45 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा तीनों अपने ससुराल रहती है। इस कारण प्रतिवादी नं. 13 से 15 ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से अपने हक हिस्से का त्याग वादी के हक मे कर दिया तथा प्रतिवादी नं. 12 ने भी जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से अपने हक हिस्से का त्याग वादी के हक मे कर दिया। इस कारण जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में प्रतिवादी नं. 12 से 15 कोई हक हिस्सा क्लेम नहीं करती। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को राजस्व रिकॉर्ड वादी के नाम दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी नं. 1 लगायत 11 से दिनांक 15.09.2016 को निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये तथा जमीन जैर बहस को गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में विक्रय करने की धमकी दी तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी दी समझाने पर भी नहीं माने इस कारण मौजूदा वाद पत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। मौजूदा वाद पत्र में प्रतिवादी नं. 16 व 17 लोक

सेवक है कानून से लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80.1 जा.दी. के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादी नं. 16 व 17 को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो दावा की नोयत ही बदल जावेगी। वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये न्यायालय श्रीमान की इजाजत से बिना दो माह पूर्व का नोटिस दिये दावा पेश किया जा सकता है। इसलिये धारा 80.2 जा.दी. के तहत बिना दो माह पूर्व का नोटिस दिये दावा पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है।(क) वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 1612 रकबा 0.74 हैक्टर सरहद कस्बा मण्डावा तहत तहसील झुन्झुनूं का वादी रमेशचन्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अलग से वादी के नाम दर्ज की जावे।(ख) प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 11 व 16 [illegible] को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन जेर बहस को विक्रय [illegible] किसी भी अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति [illegible] एवं कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे बाबत निवेदन किया है।

विवेचन

उक्तानुसार वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत [illegible] पर मय दावा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जावाबदेही तलब किया [illegible] प्रतिवादीगण 1 से 6 व 9 लगायते 14 तथा 8 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 7 के द्वारा [illegible] उजाब दावा पेश वाद की धारा 15 की धारा क, ख, ग स्वीकार करते हुये वाद [illegible] डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब दावा में अंकित किया है। वाद [illegible] मौका बाबत तहसीलदार झुन्झुनूं से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनूं ने [illegible] क्रमांक राजस्व/2018/1614 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा पेश की गई। जिसके [illegible] कस्बा मण्डावा के ख.नं. 1612 रकबा 0.74 है0 किस्म बारानी 3 में मुस्तकीम, जीमल [illegible] मोहम्मद हुसैन बिलकिस, मुमताज, नूरी, नूरजहां पुत्रियां मोहम्मद हुसैन हिस्सा 7/24 [illegible] आसिफ रिजवान पिता मुस्तफा हिस्सा 1/24 आमीन, याकूब पुत्र समदा हिस्सा 2/3 कौम कसाई सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख.नं. 1612 के आस [illegible] से पूछताछ मे पाया कि ख.नं. 1612 पर रमेश चन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावा की कब्जा काश्त है। उक्त भूमि मौके पर खाली बताते हुये रिपोर्ट पेश [illegible] है। वादी का कथन है कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पहले तत्कालीन ठिकाना मण्डावा की जमीन थी। तत्कालीन ठिकाना से जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को [illegible] हेतु वादी का पिता सोहन पुत्र जगु जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावा ने [illegible] तत्कालीन ठिकाना का अदा किया एवं बतौर टीनेन्ट जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र [illegible] ने काश्त किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने जमीन वर्णित [illegible] भूल से ही गलत बना दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आमद [illegible] वर्णित धारा 1 वाद पत्र का बाई आपरेशन ऑफ ला उक्त जमीन का [illegible] सोहनलाल हुआ जो वादी का पिता है इसलिये भूमि ख.नं. 1612 रकबा 0.74 हैक्टर [illegible] वादी को घोषित करने का कथन किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में [illegible] दस्तावेजात पेश किये हैं प्रदर्श 1 जमाबन्दी कस्बा मण्डावा सम्वत 2069–2072, प्रदर्श–2 जमाबन्दी कस्बा मण्डावा सम्वत 2012 से 2015, प्रदर्श–3 मिसल हेकियत मौजा [illegible] खुद निजामत शेखावाटी सम्वत 1999, प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्वत [illegible] से 2012, प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत 2018–2019, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2028, प्रदर्श–8 खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 व साक्ष्य में [illegible] शपथ पत्र वादी रमेश व सलीम पुत्र आमीन के पेश किये। हमने वाद में वर्णित व शपथ

[illegible] अधिकारी

[illegible] वर्णित तथ्यों, प्रदर्श- 1 ता0 8 का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस पक्षकारान पर [illegible] किया गया, राजस्व रिकार्ड से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकरण में ठि0 मण्डावा पाना [illegible] साहिब इन्दर सिंह जी (जयपुर स्टेट) मिसाद बन्दोबस्त सं0 1999 से 2008 नम्बर खाता [illegible] कालम नं. 1 सोहन बल्द जुगलाल कोम ब्राहमण सा0 साकिन देह दर्ज रिकार्ड व [illegible] प्रदर्श 2 सम्वत 2012 से 2015 ग्राम/कस्बा मण्डावा के कालम नं 5 में सोहन पुत्र [illegible] ब्राहमण नि0 ग्राम उपकृषक ख.नं. गत 682 रकबा 2 बीघा 18 विश्वा दर्ज रिकार्ड [illegible] गिरदावरी प्रदर्श 4, प्रदर्श- 5, 7, 8 में दर्ज रिकार्ड है। मिसल क्षेत्रफल गत ख.नं [illegible] 2 बीघा 18 बिश्वा के हाल खसरा नं 1612 रकबा 0.74 है0 होना स्पष्ट सिद्ध है। [illegible] कब्जा काश्त की ताईद रिपोर्ट तहसीलदार से सिद्ध है कि उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत [illegible] विवादग्रस्त भूमि पर वादी के कथनानुसार सम्वत 2012 से कदीमी कब्जा काश्त से [illegible] वादी के पूर्वज व बाद मे वादी स्वयं के द्वारा कब्जा काश्त होना जाहिर है। विवादग्रस्त [illegible] न्यायिक दृष्टान्तो से राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित [illegible] है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के [illegible] सम्वत 2012 मे किसी कृषि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व उक्त भूमि को काश्त करता रहा है तो इस आधार पर [illegible] खातेदारी अधिकारी स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तथा व्यक्ति काश्तकार की श्रेणी में आता है। उसे खातेदार काश्तकार [illegible] जा सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का कब्जा सम्वत 2012 से [illegible] होता है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचत प्रतीत [illegible]

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर कि ग्राम [illegible] कृषि भूमि हाल ख.नं. 1612 रकबा 0.74 हैक्टर में से मुस्तकीम, जीमल पिता [illegible] हुसैन, [illegible], मुमताज, नूरी, नूरजहां पुत्रियां मोहम्मद हुसैन हिस्सा 7/24 जायदा [illegible] आसिफ, रिजवान पिता मुस्तफा हिस्सा 1/24 आमीन, याकूब पुत्र समदा हिस्सा [illegible] कसाई सा दह खातेदार के नाम हजफ किया जाकर वादी रमेशचन्द्र पुत्र [illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावा को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय [illegible] है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुल न्यायालय [illegible] गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

नम्बर :— 172/2016

उनवान

रमेश चन्द्र बनाम मुस्तकीम वगै0

बाबत :—घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक :— 24.05.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह दुलड़, प्रतिवादी की ओर से श्री देश बागोरीया उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मण्डावा में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 1612 रकबा 0.74 हैक्टर में से मुस्तकीम, जीमल पिता मोहम्मद हुसैन, बिलकिस, मुमताज, नूरी, नूरजहां पुत्रियां मोहम्मद हुसैन हिस्सा 7/24 जायदा पत्नी मुस्तफा, आसिफ रिजवान पिता मुस्तफा हिस्सा 1/24 आमीन, याकूब पुत्र समदा हिस्सा 2/3 कौम कसाई सा देह खातेदार के नाम हजफ किया जाकर वादी रमेशचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	36
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	28		36

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)